दीप नारायण चौरसिया

बनाम

बिहार राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 180)

25 फरवरी, 2019

[माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश माहेश्वरी]

भारतीय दंड संहिता, 1860: धाराएँ 302/149 – पाँच व्यक्तियों पर हत्या का मुकदमा – विचारण न्यायालय ने एक अभियुक्त को धारा 302 भा.दं.सं. तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और अन्य चार सह-अभियुक्तों को केवल आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया – अपील पर, उच्च न्यायालय ने उक्त चार सह-अभियुक्तों को भी अभियुक्त के साथ धाराएँ 302/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दिया – वर्तमान अपील में केवल एक सह-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी – अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने पूर्णतः भ्रांति के अधीन स्वयं को दिग्भ्रमित करते हुए यह मत बना लिया मानो सभी पाँचों अभियुक्त धाराएँ 302/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध थे और उसी आधार पर चार सह-अभियुक्तों को भी अभियुक्त के साथ धाराएँ 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दिया – उच्च न्यायालय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में विफल रहा तथा मौलिक अधिकार क्षेत्रगत त्रुटियाँ की– राज्य द्वारा सह-अभियुक्तों की धाराएँ 302/149 के अंतर्गत दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी और न ही उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए इन चार अभियुक्तों को दंड वृद्धि के संबंध में कोई सूचना-पत्र जारी किया गया था – उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 149 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषमुक्त किया था, फिर भी इस मुद्दे पर राज्य द्वारा कोई अपील दायर किए बिना ही सभी अभियुक्तों को धारा 149 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दिया – आगे, यद्यपि उच्च

न्यायालय ने अपीलकर्ता सहित अन्य तीन व्यक्तियों को धाराएँ 302/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया, तथापि उसने चारों अभियुक्तों में से किसी को भी धाराएँ 302/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत कोई दंडादेश नहीं दिया, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) के अनुसार प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त को दंडादेश दिया जाना अनिवार्य था – आक्षेपित आदेश समस्त सह-अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में अपास्त किया जाता है – प्रकरण को विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर पुनर्निर्णय हेतु उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 354(3) – शस्त्र अधिनियम, 1959 – धारा 27।

अपील: अपील न करने वाले अभियुक्त – अपील में निर्णय का अपील न करने वाले अभियुक्तों पर प्रभाव – वर्तमान वाद में एकमात्र अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की गई – क्या संपूर्ण आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाना है अथवा केवल एकमात्र अपीलकर्ता के संबंध में – अभिनिर्धारित: समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाना है – ऐसा आदेश, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक आधार पर आधारित हो, यदि किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के आग्रह पर अवैध घोषित किया जाता है, तो उसे अन्य अपील न करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध भी बनाए नहीं रखा जा सकता – न्यायालय द्वारा की गई अवैधता को किसी वाद के पक्षकार के विरुद्ध केवल इस कारण निरंतर नहीं रहने दिया जा सकता कि उसने उस अवैधता को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया, जबकि उसी वाद में समान रूप से स्थित अन्य व्यक्ति ने उस अवैधता को न्यायालय के संज्ञान में लाकर अपनी चुनौती में सफलता प्राप्त की – अपील न करने वाले सह-अभियुक्त भी इस न्यायालय के आदेश का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और अतः वे अपीलकर्ता के साथ अपनी अपीलों के पुनः श्रवण के अधिकारी हैं – निर्णय/आदेश – भारतीय दंड संहिता, 1860 – धाराएँ 302/149।

अपील को स्वीकार करते हुए तथा प्रकरण को उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

उच्च न्यायालय ने इस त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक आधार पर कार्यवाही की कि सभी पाँचों अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 सहपठित आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। समस्त पाँचों अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। ऐसा आदेश, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक आधार पर आधारित हो, यदि किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के आग्रह पर अवैध घोषित किया जाता है, तो उसे अन्य अपील न करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध भी बनाए नहीं रखा जा सकता। यह न्याय वितरण प्रणाली के लिए एक विडंबना होगी कि एक अभियुक्त, जिसे कम गंभीर अपराध (केवल आयुध अधिनियम की धारा 27) के लिए दोषसिद्ध किया गया था और अधिक गंभीर अपराध (धारा 302/149 भा.दं.सं.) से दोषमुक्त किया गया था, उसे अपीलीय कार्यवाही के किसी भी चरण में उस आरोप के बचाव का अवसर दिए बिना ही अधिक गंभीर अपराध (धारा 302/149 भा.दं.सं.) के लिए दोषसिद्धि का सामना करना पड़े। यदि अन्य चार अभियुक्तों ने इस न्यायालय में अपील दायर की होती, तो वे भी इस आदेश का लाभ प्राप्त करते। इससे भी अधिक, केवल इस कारण कि उन्होंने अपील दायर नहीं की और प्रकरण अब एक अभियुक्त के आग्रह पर अपील के पुनः श्रवण हेतु प्रत्यावर्तित किया जा रहा है, अन्य सह-अभियुक्तों को अपील के पुनः श्रवण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, अपील न करने वाले सह-अभियुक्त भी इस न्यायालय के आदेश का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और अतः वे वर्तमान अपीलकर्ता के साथ अपनी अपीलों के पुनः श्रवण के अधिकारी हैं। इन सभी कारणों से आक्षेपित आदेश समस्त अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में भी अपास्त किया जाता है। [कंडिका 17, 28, 29, 31-33] [527-फ; 530-ब, क, ड, ग]।

दुर्गा शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह एवं अन्य, **ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 520 : [1955] एस.सी.आर. 287 – अनुसरण किया गया।**

हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, **(1982) 2 एस.सी.सी. 101 : [1982] 3 एस.सी.आर. 235;** *राजा राम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* **(1994) 2 एस.सी.सी. 568 : [1994] 2 एस.सी.आर. 114;** *चेल्लप्पन मोहनदास एवं अन्य बनाम केरल राज्य,* **(1995) परिशिष्ट (1) एस.सी.सी. 259;** *डांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,* **(1999) 7 एस.सी.सी. 69 : [1999] 1 परिशिष्ट एस.सी.आर. 535;** *अनिल राय बनाम बिहार राज्य,* **(2001) 7 एस.सी.सी. 318 : [2001] 1 परिशिष्ट एस.सी.आर. 298;** *बिजॉय सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य,* **(2002) 9 एस.सी.सी. 147 : [2002] 3 एस.सी.आर. 179;** *गुरूचरण कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य,* **(2003) 2 एस.सी.सी. 698 : [2003] 1 एस.सी.आर. 60;** *सुरेश चौधरी बनाम बिहार राज्य*, **(2003) 4 एस.सी.सी. 128;** *अखिल अली जहांगिर अली सैयद बनाम महाराष्ट्र राज्य,* **(2003) 2 एस.सी.सी. 708;** *पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य,* **(2003) 11 एस.सी.सी. 241 : [2003] 1 परिशिष्ट एस.सी.आर. 710 – अवलंबित।**

<u>नज़ीर संदर्भ</u>

[1955] एस.सी.आर. 287	**अनुसरण किया गया**	**कंडिका 25**
[1982] 3 एस.सी.आर. 235	**अवलंबित**	**कंडिका 27**
[1994] 2 एस.सी.आर. 114	**अवलंबित**	**कंडिका 27**
(1995) परिशिष्ट (1) एस.सी.सी. 259	**अवलंबित**	**कंडिका 27**

[1999] 1 परिशिष्ट एस.सी.आर. 535	**अवलंबित**	**कंडिका 27**
[2001] 1 परिशिष्ट एस.सी.आर. 298	**अवलंबित**	**कंडिका 27**
[2002] 3 एस.सी.आर. 179	**अवलंबित**	**कंडिका 27**
[2003] 1 एस.सी.आर. 60	**अवलंबित**	**कंडिका 27**
(2003) 4 एस.सी.सी. 128	**अवलंबित**	**कंडिका 27**
(2003) 2 एस.सी.सी. 708	**अवलंबित**	**कंडिका 27**
[2003] 1 परिशिष्ट एस.सी.आर. 710	**अवलंबित**	**कंडिका 27**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2019 की आपराधिक अपील संख्या 180

पटना स्थित बिहार उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 77 सन् 1994 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.11.2017 के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से :ब्रजेश कुमार, ए.पी. सिन्हा, सौरव कुमार— अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दिया गया : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे**।

1. यह अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक अपील (खं.पी.) सं. 77 वर्ष 1994 में पारित दिनांक 14.11.2017 के अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यहां के अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को निरस्त कर दिया।

2. इस अपील में निहित संक्षिप्त प्रश्न के सम्यक् अवलोकन हेतु, कुछ प्रासंगिक तथ्यों का निम्नवत् उल्लेख अपेक्षित है।

3. पाँच व्यक्तियों, अर्थात् (1) लुखो प्रसाद चौरसिया, (2) बिरेंद्र प्रसाद चौरसिया, (3) विनोद प्रसाद चौरसिया, (4) दीप नारायण चौरसिया तथा (5) कन्हाई प्रसाद चौरसिया पर दिनांक 06.02.1992 को कौशल्या देवी की हत्या के अपराध के लिए भारतीय

दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे "भा.दं.सं." कहा गया है) की धाराएँ 302/149 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सत्र वाद सं. 264/1992 में अपर सत्र न्यायाधीश, मुंगेर द्वारा विचारण किया गया।

4. दिनांक 08.02.1994 के निर्णय द्वारा, अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त कन्हाई प्रसाद चौरसिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया तथा उसे तदनुसार धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। दोनों दंडादेश एक साथ चलने के लिए निर्दिष्ट किए गए।

5. जहाँ तक सह-अभियुक्त लुखो प्रसाद चौरसिया, बिरेंद्र प्रसाद चौरसिया, विनोद प्रसाद चौरसिया तथा दीप नारायण चौरसिया का संबंध है, सभी चारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया। तथापि, सभी चारों अभियुक्तों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया तथा तदनुसार उन्हें पाँच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। सत्र न्यायाधीश के आदेश की अंतिम कंडिका निम्नवत् है:

> **"अतः मेरे निष्कर्षों के आधार पर, अभियुक्त कन्हाई प्रसाद चौरसिया, जो अभिरक्षा में है, को भा.दं.सं. की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और उसे अपनी सजा भुगतने हेतु पुनः अभिरक्षा में भेजा जाता है, तथा अभियुक्त लुखो प्रसाद चौरसिया, बिरेंद्र प्रसाद चौरसिया, विनोद प्रसाद चौरसिया एवं दीप नारायण चौरसिया, जो जमानत पर हैं, को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और परिणामस्वरूप उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उन्हें अपनी सजा भुगतने हेतु अभिरक्षा में लिया जाता है।"**

6. उपर्युक्त नामित सभी पाँचों अभियुक्त अपनी-अपनी दोषसिद्धि तथा कारावास के दंडादेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में दो दांडिक अपीलें दायर किए।

7. जहाँ तक कन्हाई प्रसाद चौरसिया का संबंध है, उन्होंने दांडिक अपील (खं.पी.) सं. 112/1994 दायर की, जबकि शेष चारों अभियुक्तों ने संयुक्त रूप से पटना उच्च न्यायालय में दांडिक अपील (खं.पी.) सं. 77/1994 दायर की। दोनों दांडिक अपीलों को सुनवाई हेतु एक साथ संलग्न किया गया।

8. जहाँ तक अभियुक्त कन्हाई प्रसाद चौरसिया द्वारा दायर दांडिक अपील सं. 112/1994 का संबंध है, उसमें विचारणीय प्रश्न केवल एक था, अर्थात् क्या अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे (कन्हाई प्रसाद चौरेसिया) भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध करना उचित था।

9. जहाँ तक शेष चार अभियुक्तों, अर्थात् लुखो प्रसाद चौरसिया, बिरेंद्र प्रसाद चौरसिया, विनोद प्रसाद चौरसिया एवं दीप नारायण चौरसिया द्वारा दायर दांडिक अपील सं. 77/1994 का संबंध है, उसमें विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा इन चारों अभियुक्तों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर उन्हें पाँच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करना उचित था।

10. उच्च न्यायालय, तथापि, पूर्णतः भ्रांति के अधीन रहा और इस प्रकार स्वयं को दिग्भ्रमित कर लिया कि मानो सभी पाँचों अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और तदनुसार साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, एक सामान्य निर्णय द्वारा दोनों अपीलों को निरस्त करते हुए, कन्हाई प्रसाद चौरसिया के साथ अन्य चार अभियुक्तों को भी धारा 302/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दिया।

11. यह आक्षेपित निर्णय की प्रथम एवं अंतिम कंडिकाओं से स्पष्ट है, जिन्हें निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जाता है:

प्रथम कंडिका

"चूँकि ये दोनों अपीलें सत्र विचारण सं. 264/92 में 12वें अपर सत्र न्यायाधीश, मुंगेर द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 1994 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास से तथा अन्य अभियुक्तों को धाराएँ 302/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास से, साथ ही प्रत्येक को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पाँच वर्ष के सश्रम कारावास से दोषसिद्ध किया गया है, अतः ये अपीलें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं और इन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।" (बल दिया गया)

अंतिम कंडिकाएँ

"यद्यपि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने साक्ष्यों के अवलोकन द्वारा उनमें कुछ लघु विरोधाभास दर्शाने का प्रयास किया, तथापि हम पाते हैं कि साक्ष्यों के समग्र पठन पर, साक्षियों द्वारा वर्णित कथा तथा अ.सा.-5 सुंदर तांती द्वारा दर्ज किए गए फर्दबयान में अंकित कथन सिद्ध होता है। यह ऐसा वाद है जिसमें अपीलकर्ता/ओं ने प्रातःकाल हुई घटना के उपरांत अपराध करने के आशय से, रायफल एवं पिस्तौल से सुसज्जित होकर स्थल पर आए, अपराध कारित किया और वहाँ एकत्रित ग्रामीणों को भयभीत करने हेतु आकाश में फायरिंग करते हुए भाग गए। यह ऐसा वाद है जिसमें उन्होंने एक अवैध जमावड़ा गठित किया, अपराध किया और इस प्रकार भा.दं.सं. की धारा 302 एवं 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्धि उचित है और चूँकि संपूर्ण दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित है, अतः हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा इस अपील को स्वीकार करने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। अभियोजन ने अपना वाद सिद्ध कर दिया है

<u>और हमारे विचार में दोषसिद्धि किसी भी प्रकार की त्रुटि से ग्रसित नहीं है।"</u>

"तदनुसार, हम इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। अपीलें, निराधार होने के कारण, निरस्त की जाती हैं। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर शेष दंडादेश भुगतने हेतु अभिरक्षा में लिए जाने का निर्देश दिया जाता है।" (बल दिया गया)

12. उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभाव त्रि-आयामी है। प्रथम, दोनों दांडिक अपीलें निरस्त कर दी गई हैं; द्वितीय, कन्हाई प्रसाद चौरसिया की भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंडादेश को यथावत् रखा गया है; तथा तृतीय, शेष चार अभियुक्त—लुखो प्रसाद चौरसिया, बिरेंद्र प्रसाद चौरसिया, विनोद प्रसाद चौरसिया एवं दीप नारायण चौरेसिया—को भी भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित धारा 149 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है।

13. इसी निर्णय के विरुद्ध, केवल एक अभियुक्त—दीप नारायण चौरेसिया—ने स्वयं को व्यथित महसूस करते हुए इस न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है।

14. अतः इस अपील में विचारार्थ उत्पन्न होने वाला प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ के अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को निरस्त करना उचित था।

15. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा वाद अभिलेख के अवलोकन के उपरांत, हम इस निष्कर्ष पर बाध्य हैं कि अपील को स्वीकार किया जाए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए तथा प्रकरण को विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचारार्थ अपील के पुनः श्रवण हेतु उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाए।

16. हमारे मत में, खंड पीठ अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में विफल रही तथा नीचे वर्णित अनुसार मौलिक अधिकार क्षेत्रगत त्रुटियाँ की।

17. प्रथम त्रुटि यह थी कि उच्च न्यायालय इस त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक आधार पर कार्यवाही करता रहा कि सभी पाँचों अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा भा.दं.सं. की धारा 302/149 सहपठित आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था, जबकि ऐसा नहीं था।

18. द्वितीय त्रुटि यह थी कि अपीलकर्ता (दीप नारायण चौरेसिया) सहित अन्य तीन अभियुक्त (लुखो प्रसाद चौरसिया, बिरेंद्र प्रसाद चौरसिया एवं विनोद प्रसाद चौरेसिया) को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया था, जबकि उन्हें केवल आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर पाँच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था। तथापि, उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, राज्य द्वारा उनकी दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर किए बिना तथा उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए इन चारों अभियुक्तों को दंड वृद्धि के संबंध में कोई सूचना-पत्र जारी किए बिना ही उन्हें भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दिया गया।

19. अन्य शब्दों में तथा जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है, उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या यहाँ के अपीलकर्ता (दीप नारायण चौरेसिया) तथा अन्य तीन अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर पाँच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करना उचित था अथवा नहीं। इसके विपरीत, दोषसिद्धि की पुष्टि अथवा दोषमुक्ति का कोई निष्कर्ष अभिलिखित करने के स्थान पर, उच्च न्यायालय ने सभी चारों अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत भी दोषसिद्ध कर दिया।

20. तृतीय त्रुटि यह थी कि उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि

अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 149 के अंतर्गत दोषमुक्त किया था, तथापि इस मुद्दे पर राज्य द्वारा कोई अपील दायर किए बिना ही उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 149 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दिया।

21. चतुर्थ त्रुटि यह थी कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता सहित अन्य तीन अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए गलत रूप से दोषसिद्ध किया, तथापि उसने चारों अभियुक्तों में से किसी को भी धारा 302/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत कोई दंडादेश प्रदान नहीं किया।

22. चूँकि अपीलकर्ता तथा अन्य तीन अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा भा.दं.सं. की धारा 302/149 के आरोप से दोषमुक्त किया गया था, तथापि उच्च न्यायालय ने उन्हें प्रथम बार भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354(3) के अनुसार प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत निर्धारित दंडादेश प्रदान किया जाना अनिवार्य था।

23. अतः आक्षेपित निर्णय का प्रभाव यह है कि यद्यपि अपीलकर्ता सहित अन्य तीन अभियुक्त भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध हुए हैं, तथापि उनके विरुद्ध कोई दंडादेश प्रदान नहीं किया गया है।

24. अब अगला प्रश्न, जो विचारार्थ उत्पन्न होता है, यद्यपि किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं उठाया गया है, यह है कि क्या हमें संपूर्ण आक्षेपित आदेश को अपास्त करना चाहिए अथवा केवल यहाँ के एकमात्र अपीलकर्ता के संबंध में ही अपास्त करना चाहिए, क्योंकि अन्य चार अभियुक्त, यद्यपि वे अपीलकर्ता के समान ही भा.दं.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध हुए, तथापि उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की, और द्वितीयतः, अन्य अभियुक्त कन्हाई प्रसाद चौरसिया, जिसकी भा.दं.सं. की धारा 302/149 सहपठित आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंडादेश को यथावत् रखा गया है, ने भी इस न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की है।

25. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **दुर्गा शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह एवं अन्य**, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 520 में इस प्रश्न का परीक्षण किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्याय के हित में अपील न करने वाले अभियुक्तों के पक्ष में स्वतः संज्ञान लेकर किया जा सकता है।

26. विद्वान न्यायमूर्ति बी.के. मुखर्जी (जैसा कि वे उस समय थे और बाद में मुख्य न्यायाधीश बने) ने पीठ की ओर से अपने विशिष्ट लेखन शैली में इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

> **"संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथापि विशेष अथवा अवशिष्ट शक्तियों के स्वरूप की हैं, जिनका प्रयोग सामान्य विधि के परिधि से बाहर उन वादों में किया जाता है जहाँ न्याय की आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की अपेक्षा करती है। स्वयं यह अनुच्छेद यथासंभव अत्यंत व्यापक शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। ..... संविधान ने उचित कारणों से इस अनुच्छेद के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित करना उचित नहीं समझा.....**
>
> **यह अधिरोहक शक्ति, जो संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में निहित की गई है, एक अर्थ में इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा अपील ग्रहण करने के विशेषाधिकार से भी अधिक व्यापक है।"**

27. तत्पश्चात् इस न्यायालय ने उपर्युक्त सिद्धांत के आलोक में उपयुक्त वादों में संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील में पारित आदेश का लाभ उन अभियुक्तों को भी निरंतर प्रदान किया है जिन्होंने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर नहीं की थी [देखें:

हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1982) 2 एस.सी.सी. 101; **राजा राम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** (1994) 2 एस.सी.सी. 568; **चेल्लप्पन मोहनदास एवं अन्य बनाम केरल राज्य**, 1995 परिशिष्ट (1) एस.सी.सी. 259; **डांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,** (1999) 7 एस.सी.सी. 69; **अनिल राय बनाम बिहार राज्य,** (2001) 7 एस.सी.सी. 318; **बिजॉय सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य,** (2002) 9 एस.सी.सी. 147; **गुरूचरण कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य,** (2003) 2 एस.सी.सी. 698; **सुरेश चौधरी बनाम बिहार राज्य,** (2003) 4 एस.सी.सी. 128; **अखिल अली जहांगिर अली सैयद बनाम महाराष्ट्र राज्य,** (2003) 2 एस.सी.सी. 708 तथा **पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य,** (2003) 11 एस.सी.सी. 241]।

28. इस प्रश्न पर गंभीर विचार करने तथा उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए, हम इस सुविचारित मत के हैं कि संपूर्ण आक्षेपित आदेश सभी पाँचों अभियुक्तों के विरुद्ध अपास्त किया जाना अपेक्षित है।

29. हमारे मत में, ऐसा आदेश जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक आधार पर आधारित हो और जिसे किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के आग्रह पर अवैध ठहराया जा चुका हो, उसे अन्य अपील न करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध भी बनाए नहीं रखा जा सकता।

30. यह विधि का एक मौलिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा की गई किसी अवैधता को किसी वाद के पक्षकार के विरुद्ध केवल इस कारण निरंतर नहीं रहने दिया जा सकता कि उसने उस अवैधता को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया, जबकि उसी वाद में समान रूप से स्थित किसी अन्य व्यक्ति ने उस अवैधता को न्यायालय के संज्ञान में लाकर अपनी चुनौती में सफलता प्राप्त की।

31. यह न्याय वितरण प्रणाली के लिए एक विडंबना होगी कि एक अभियुक्त, जिसे कम गंभीर अपराध (केवल आयुध अधिनियम की धारा 27) के लिए दोषसिद्ध किया

गया था और अधिक गंभीर अपराध (भा.दं.सं. की धारा 302/149) से दोषमुक्त किया गया था, उसे अपीलीय कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसे आरोप के बचाव का कोई अवसर प्रदान किए बिना ही अधिक गंभीर अपराध (भा.दं.सं. की धारा 302/149) के लिए दोषसिद्धि का दुष्परिणाम भुगतना पड़े।

32. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अन्य चार अभियुक्तों ने इस न्यायालय में अपील दायर की होती, तो वे भी इस आदेश का लाभ प्राप्त करते। इससे भी अधिक, केवल इस कारण कि उन्होंने अपील दायर नहीं की और प्रकरण अब एक अभियुक्त के आग्रह पर अपील के पुनः श्रवण हेतु प्रत्यावर्तित किया जा रहा है, अन्य सह-अभियुक्तों को अपील के पुनः श्रवण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, अपील न करने वाले सह-अभियुक्त भी इस न्यायालय के आदेश का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और अतः वे वर्तमान अपीलकर्ता के साथ अपनी अपीलों के पुनः श्रवण के अधिकारी हैं।

33. इन सभी कारणों से, आक्षेपित आदेश समस्त अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में भी अपास्त किया जाता है।

34. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, अपील सफल होती है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश पूर्णतः अपास्त किया जाता है। दोनों दांडिक अपीलें, अर्थात् दांडिक अपील (खं.पी.) सं. 77/1994 तथा दांडिक अपील (खं.पी.) सं. 112/1994 को उच्च न्यायालय के समक्ष उनके समरूप सुनवाई हेतु उनके मूल क्रमांकों पर पुनर्स्थापित किया जाता है।

35. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह दोनों दांडिक अपीलों का उनके-अपने गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार निर्णय करे।

36. चूँकि अपीलकर्ता दीप नारायण चौरसिया ने अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध के लिए प्रदान किए गए कुल पाँच वर्ष के कारावास में से पाँच माह का कारावास पहले ही भुगत लिया है, अतः उसे (दीप नारायण

चौरसिया को) उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित दांडिक अपीलों के लंबित रहने के दौरान संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किया जाता है।

37. हम तथापि यह स्पष्ट करते हैं कि हमने वाद के तथ्यात्मक पक्ष के संबंध में उनके-अपने गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है, जो कि दोनों दांडिक अपीलों का विषय है, और अतः उच्च न्यायालय दोनों अपीलों का निर्णय उनके-अपने गुण-दोष के आधार पर इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर करेगा।

38. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा अन्य चार अभियुक्त व्यक्तियों को प्रेषित की जाए ताकि वे अपनी अपीलों के अभियोजन हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकें।

39. उच्च न्यायालय अपीलों की सुनवाई से पूर्व अन्य चार अभियुक्त व्यक्तियों को सूचना-पत्र जारी करेगा, यदि उनमें से कोई उपस्थित होने में विफल रहता है। उच्च न्यायालय उन्हें विधिक सहायता प्रदान करने हेतु किसी अधिवक्ता की नियुक्ति पर भी विचार कर सकता है।

देविका गुज़राल

अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।